/

सिद्धार्थ मुकेश भंडारी बनाम।

गुजरात राज्य और ए. एन. आर. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1044) अगस्त 02,2022

/

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.482-यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच और/या अंतरिम राहत पर रोक।482 सी. आर. पी. सी.-निजी उत्तरदाता-अभियुक्त ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेष आपराधिक आवेदन दायर किए।482 याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सी. आर. पी. सी.-आगे की जांच से पहले, उच्च न्यायालय ने 10-10-2019 दिनांकित अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया था कि निजी उत्तरदाताओं-अभियुक्तों के खिलाफ दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाएं-एस. एल. पी. दिनांकित 10-10-2019 के अंतरिम आदेश के खिलाफ-अंतरिम आदेश 10-10-2019 सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई-एस. एल. पी. को आपराधिक अपीलों में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एम/एस. निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में निर्णय पर विचार करने के बाद, अंतरिम आदेश 10-10-2019 को दरकिनार कर दिया-इसके बाद, उच्च न्यायालय ने विशेष आपराधिक आवेदनों को स्वीकार कर लिया, और आगे की आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने और आगे की जांच पर रोक लगाने के लिए दिनांकित 14-02-2022 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से अंतरिम राहत प्रदान की।उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के अंतरिम आदेश अपास्त करते हुए करने और दरकिनार करने वाली आपराधिक कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले के निर्णय और आदेश के बावजूद, उच्च न्यायालय ने फिर से वही अंतरिम राहत प्रदान की, जिसे मेसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पहले के निर्णय और आदेश के विपरीत कहा जा सकता है।s.482 सी. आर. पी. सी. केवल दुर्लभतम मामलों में ही होगी-विशेष आपराधिक आवेदनों में पारित दिनांक 14-02-2022 का आक्षेपित आदेश-जांच अधिकारी जांच पूरी करेगा और अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित आपराधिक न्यायालय के समक्ष उचित रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करेगा-उच्च न्यायालय विधि के अनुसार और गुण-दोष के आधार पर विशेष आपराधिक आवेदनों पर विचार करेगा-भारत का संविधान, 1950-Art.226-अंतरिम आदेश।

/

/

/

/

/

/

853 ए.

854 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 6 एस. सी. आर.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** उच्च न्यायालय ने दिनांक **14-2-2022** के आक्षेपित अंतरिम आदेशों को पारित करने में गंभीर गलती की, जिसे मैसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पहले के निर्णय और आदेश के अनुसार कहा जा सकता है और यहां तक कि आपराधिक अपीलों में भी (उच्च न्यायालय के दिनांक **10-10-2019** के अंतरिम आदेश के खिलाफ **SLP** से परिवर्तित)।**[**पैरा **5] [857-**एफ**]**

/

2. उच्च न्यायालय ने मेसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और विधि की उचित रूप से सराहना नहीं की है। मेसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय द्वारा जिस बात पर जोर दिया गया है, वह यह है कि धारा **482** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच पर किसी भी तरह की रोक और/या किसी भी अंतरिम राहत का अनुदान केवल दुर्लभतम मामलों में ही होगा।इस न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही की जांच करने के लिए जांच अधिकारी के अधिकार पर भी जोर दिया है।**[**पैरा **6] [857-**जी**; 858-**बी-सी**]**

/

/

3. उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के अंतरिम आदेशों, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया था, अपास्त करते हुए करने और दरकिनार करने वाली आपराधिक कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा पहले के निर्णय और आदेश के बावजूद, उच्च न्यायालय ने फिर से वही अंतरिम राहत दी है, जिसे मैसर्स नीहरिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट

लिमिटेड के मामले में पहले के निर्णय और आदेश के विपरीत कहा जा सकता है। **[**पैरा **7] [858-**डी**]**

/

4. संबंधित विशेष आपराधिक आवेदनों में पारित दिनांकित **14.02.2022** के आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।जाँच अधिकारी को जल्द से जल्द जाँच पूरी करने और अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित आपराधिक न्यायालय के समक्ष उचित रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।उच्च न्यायालय विशेष आपराधिक आवेदनों पर विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।यह संबंधित अभियुक्तों-मूल याचिकाकर्ताओं के लिए अग्रिम जमानत की मांग के लिए उचित आवेदन करने के लिए खुला होगा।**[**पैरा **8] [858-**एफ-एच**]**

/

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1044।

/

855

सिद्धार्थ मुकेश भंडारी बनाम गुजरात राज्य और ए. एन. आर.

/

2019 के आर/विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 9112 में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 14.02.2022 के निर्णय और आदेश से।

सह

2022 की आपराधिक अपील संख्या 1045 और 1046।

हर्षित टोलिया, पी. एस. सुधीर, सिद्धार्थ रवि खेसकानी, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू, भरत सूद, सुश्री श्रुति जोस, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., पी. एस. पटवालिया, मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, कानू अग्रवाल, सुश्री दीपानविता प्रियंका, बृजेश लिम्बाचिया, सुश्री अनुश्री प्रशित कपाड़िया, सुश्री हर्षिका वर्मा, दियामक दत्त द्विवेदी, सुश्री आस्था खन्ना, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, अनिरुद्ध भाटिया, सुश्री आयुषी आमोद, प्रणव सहगल, सुश्री अशिता चावला, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम. आर. शाह, जे.

1. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अहमदाबाद में 2019 के संबंधित विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 9112,2019 के 9111 और 2019 के 9475 में पारित किए गए आक्षेपित अंतरिम आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (<ID2] की धारा 482 के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर विशेष आपराधिक आवेदनों को स्वीकार करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की है और प्रतिवादियों-अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित आपराधिक जांच मामलों की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और जिसके द्वारा याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही के संबंध में आगे की जांच पर रोक लगा दी गई है-मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 2019 का विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 9111 और 2019 का 9475 अपीलार्थी-मूल शिकायतकर्ता द्वारा शुरू की गई 2019 का मामला संख्या 2 होने के कारण उत्पन्न हुआ था।उच्च न्यायालय के समक्ष 2019 का विशेष आपराधिक आवेदन सं. 9112,2019 का एम. मामला सं. 3 होने की प्राथमिकी से उत्पन्न हो रहा था।इसमें निजी उत्तरदाताओं-मूल अभियुक्त ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए 2019 के विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 9112,2019 के 9111 और 2019 के 9475 के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

/

/

संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता धारा 482 के साथ पढ़ा गया। उक्त विशेष आपराधिक आवेदन 01.10.2019 पर उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए थे।जाँच अधिकारी द्वारा आगे कोई जाँच किए जाने से पहले, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक-पक्षीय अंतरिम आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाएंगे।उपरोक्त विशेष आपराधिक आवेदनों में पारित सामान्य अंतरिम आदेश इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाओं का विषय था।उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करते समय दिनांक 09.12.2019 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने दिनांक 10.10.2019 के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी।

/

/

दिनांक 09.12.2019 के आदेश की निरंतरता में, इस न्यायालय ने 17.12.2019 पर एक और आदेश पारित किया और कहा कि यह अभियुक्त-प्रतिवादियों के लिए विधि के अनुसार अग्रिम जमानत लेने के लिए खुला होगा, जिस पर शीघ्रता से विचार किया जा सकता है।यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि इसके बाद प्रतिवादियों-अग्रिम जमानत की मांग करने वाले अभियुक्तों द्वारा आगे की कोई कार्यवाही शुरू की गई थी।दिनांक 1 के सामान्य आदेश के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को 2021 की आपराधिक अपील संख्या 1657,1658,1659 और 1660 में परिवर्तित कर दिया गया था।एक विस्तृत निर्णय और दिनांक 17.12.2021 के आदेश द्वारा और मैसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद

/

प्राइवेट लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य, एआईआर 2021 एससी 1918,

/

इस न्यायालय ने संबंधित विशेष आपराधिक आवेदनों में पारित 10.10.2019 दिनांकित अंतरिम आदेशों को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया।इसके बाद इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेशों द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के बावजूद, संबंधित विशेष आपराधिक आवेदनों को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने फिर से आक्षेपित अंतरिम राहत प्रदान करते हुए आगे की आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है और परिणामस्वरूप आगे की जांच पर रोक लगा दी है।उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत देने और आगे की आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने और परिणामस्वरूप आगे की जांच पर रोक लगाने के आक्षेपित अंतरिम आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

3. हमने याचिकाकर्ता-अपीलार्थी-मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षित टोलिया को सुना है। श्री के. एम. नटराज, प्रतिवादी की ओर से पेश होने वाले विद्वान ए. एस. जी.-गुजरात राज्य और श्री पी. एस. पटवालिया और श्री मनिंदर सिंह, उत्तरदाताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता-मूल रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी।

/

/

857

सिद्धार्थ मुकेश भंडारी बनाम गुजरात राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

4. श्री के. एम. नटराज, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2019 के बाद आई. ओ. द्वारा की गई जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के अंतरिम आदेश दिनांक 10.10.2019 पर रोक लगा दी गई है।स्थिति रिपोर्ट से यह देखा जा सकता है कि वास्तविक जांच जून, 2020 के बाद ही शुरू हुई है।इसके बाद भी कहा जा सकता है कि जांच धीमी गति से आगे बढ़ रही है।ऐसा प्रतीत होता है कि हर स्तर पर जांच रुकी हुई है।यह भी देखा जा सकता है कि जांच को पहले और उसके बाद भी आक्षेपित आदेश के अनुसार रोक दिया गया है, जिसे अभियोजन पक्ष और/या जांच एजेंसी के हित में नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने मुकदमे के पहले दौर (2021 की आपराधिक अपील संख्या 1657,1658,1659 और 1660) में कहा था, जांच एजेंसी को आपराधिक कार्यवाही की जांच करने का अधिकार है और केवल दुर्लभतम मामलों में ही इसे रोका जा सकता है और/या रोक लगाई जा सकती है।5. कुछ दलीलें देने के बाद, मूल रिट याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं, श्री मनिंदर सिंह और श्री पटवालिया ने बार में कहा है कि यदि यह अदालत 2019 के 9112,2019 के 9111 और 2019 के 9475 के संबंधित विशेष आपराधिक आवेदन संख्या में पारित उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित अंतरिम आदेश अपास्त करते हुए करने और रद्द करने का इरादा रखती है, तो वे आगे कोई तर्कपूर्ण आदेश आमंत्रित नहीं करते हैं।हालाँकि, उन्होंने इस प्रभाव के लिए उपयुक्त टिप्पणियां करने का अनुरोध किया है कि संबंधित विशेष आपराधिक आवेदनों का निर्णय विधि के अनुसार और उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाए।मामले के उस दृष्टिकोण से, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित अंतरिम आदेश अपास्त करते हुए करते हुए और दरकिनार करते हुए कोई और विस्तृत तर्कपूर्ण आदेश पारित नहीं कर रहे हैं।हालांकि, यह कहना पर्याप्त है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित अंतरिम आदेश पारित करने में गंभीर गलती की है, जिसे मैसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले

में हमारे पहले के निर्णय और आदेश और यहां तक कि 2021 की आपराधिक अपील संख्या 1657 से 1660 में भी कहा जा सकता है।

/

/

/

/

/

6. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मेसर्स निहारिका में पारित हमारे पहले के निर्णय और आदेश की उचित रूप से सराहना नहीं की है और/या उस पर विचार नहीं किया है।

/

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर)।यहाँ तक कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी

इस न्यायालय के निर्णय के अनुपात को भी ठीक से नहीं समझा गया

मेसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) का मामला।ऐसा प्रतीत होता है।

कि विद्वान एकल न्यायाधीश की राय प्रतीत होती है कि देने के बाद

/

इन कारणों से, उच्च न्यायालय धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता साथ पठित संविधान दंड प्रक्रिया संहिता अनुच्छेद 226 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत दायर आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका में आगे की जांच पर अंतरिम रोक लगा सकता है। उच्च न्यायालय ने इसदंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और विधि की ठीक से सराहना नहीं की है।

मेसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में न्यायालय ।

मेसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जिस बात पर जोर दिया गया है, वह यह है कि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत

शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच पर किसी भी तरह की रोक और/या किसी भी अंतरिम राहत का अनुदान केवल दुर्लभतम मामलों में ही होगा।इस न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही की जांच करने के लिए जांच अधिकारी के अधिकार पर भी जोर दिया है।अपने पहले के निर्णय और आदेश में, वास्तव में, हमने मैसर्स निहारिका के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को हटा दिया था।

/

/

पैराग्राफ 4 में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर)।

7. उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के अंतरिम आदेशों को, जिन्हें इस न्यायालय ने दरकिनार कर दिया था, निरस्त करने और अपास्त करते हुए वाली आपराधिक कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा पहले के निर्णय और आदेश के बावजूद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने फिर से वही अंतरिम राहत प्रदान की है, जिसे जैसा कि ऊपर देखा गया है, मैसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में हमारे पहले के निर्णय और आदेश के विपरीत कहा जा सकता है।हम आगे कुछ भी नहीं देख रहे हैं क्योंकि मूल रिट याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आगे कोई तर्कपूर्ण आदेश पारित नहीं करने का अनुरोध किया है।

/

/

8. उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं और इसमें निजी उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए उपरोक्त रुख को ध्यान में रखते हुए-ऊपर दर्ज मूल अभियुक्त और किए गए विशिष्ट प्रस्तुतिकरण, हम संबंधित विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 2019 की संख्या 9112,2019 की संख्या 9111 और 2019 की संख्या 9475 में पारित किए गए आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर देते हैं।अर्थात्, उपरोक्त विशेष आपराधिक आवेदनों के लंबित रहने के दौरान कोई अंतरिम राहत नहीं होगी। जाँच अधिकारी को जल्द से जल्द और अधिमानतः आज से तीन महीने की अवधि के भीतर जाँच पूरी करने और अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित आपराधिक न्यायालय के समक्ष उचित रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।यह बिना कहे चला जाता है कि उच्च न्यायालय विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर विशेष आपराधिक आवेदनों पर विचार करेगा।यह भी देखा गया है कि यह संबंधित अभियुक्त-मूल रिट याचिकाकर्ताओं के लिए अग्रिम जमानत की मांग के लिए उचित आवेदन करने के लिए खुला होगा, क्योंकि हमारे पास ए है

/

/

/

859

सिद्धार्थ मुकेश भंडारी बनाम गुजरात और ए. एन. आर. राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

हमारे पहले के दिनांकित 17.12.2019 आदेश में ऐसा देखा गया है और यदि दाखिल किया जाता है, तो उस पर विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

वर्तमान अपीलों को तदनुसार अनुज्ञात जाती है।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

/

/

अपीलों की अनुज्ञात गई।

/

/

/

/

/

/